न्यायालय सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी जिला –चित्तौड़गढ

पीठासीन अधिकारी :– बिन्दु बाला राजावत (आर. ए. एस.)

प्रकरण सं0 1/2020, अपील

1– श्रीमती प्रतापी बाई हेमा खारोल नि. पालाखेड़ी तह. बडीसादडी।
2– श्रीमती अणछी बाई पिता हेमा खारोल नि. पालाखेडी तह. बडीसादडी ।
3– श्रीमती जमनाबाई पिता हेमा खारोल नि. पालाखेडी तह. बडीसादडी ।

– अपीलान्ट

।। बनाम ।।

सरपंच ग्राम पंचायत भाणुजा तहसील बडीसादडी

– रेस्पोन्डेन्ट

उपस्थित – 1. श्री राहुल मेहता – अभिभाषक अपीलांट
2. एक पक्षीय कार्यवाही

।। निर्णय ।। दिनांक 12.8.2021

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि मौजा पालाखेडी पटवार हल्का भाणुजा की आराजी नं. नई 125 पुरानी 88 कुल किता 1 कुल रकबा 0.3100 है. कुल लगान 10.23 रूप्या स्थित होकर उक्त आराजीयात अपीलान्ट के पिता हेमा पिता लछमन खारोल के खातेदारी की थी । हेमा जी की मृत्यु हो चुकी है जिनके वारिसान उनकी तीनो पुत्रिया अपीलान्ट प्रतापीबाई, जमनाबाई एवं अणछीबाई है इनके अलावा मृतक हेमा का कोई वारीसान नहीं है। पटवार हल्का भाणूजा के द्वारा नामान्तरण सं. 218 भरा गया जिसमें मृतक हेमा खारोल का फौत होना तथा उसके वारीसान अपीलान्ट का होना अंकित किया है लेकिन उक्त नामान्तरकरण में प्रताप, जमना, कालू पिता हेमा दर्ज किया है तथा गिरदावर रिपोर्ट में प्रताप, जमना व कालू तीनों जाईन्दा लडको का नाम दर्ज करने की मंजूरी फरमायी जाना अंकित किया है जबकि अपीलान्ट ही मृतक हेमा जी क विधिक वारीसान है लेकिन पटवार हल्का ने अणछी के बजाय तीसरी पुत्री का नाम कालू दर्ज कर दिया जो गलत है तथा तीनों पुत्रियों को पुत्र होना अंकित कर दिया जिसके अनुसार जमाबंदी में प्रताप, जमना व कालू पिता हेमा दर्ज हो गया जिससे असंतुष्ट होकर यह अपील अपीलान्ट ने पेश की है।

अपील अपीलान्ट को दर्ज किया जाकर रेस्पो[illegible]रिये नोटिस तलब किया गया । रेस्पोडेंट बावजूद सूचना अनुपस्थित [illegible] 15.03.2021 को एकपक्षीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2021.09.10 13:12:44 IST
Reason: SelfAttested

कार्यवाही के आदेश दिये गये। बहस एक पक्षीय अपीलांट की ओर से सुनी गयी व उसकी ओर से पेश दस्तावेजान का अवलोकन किया गया । अधिवक्ता अपीलांट ने अपील को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया।बहस अपीलांट व पेश दस्तावेजान का मनन किया गया जिससे जाहिर होता है कि मृतक हेमा के वारीसान की वक्त नामान्तरण की प्रक्रिया में वारीसान की जांच में दर्ज नामान्तरण में पुत्रियां अंकित करना था परन्तु पुत्र दर्ज कर दिया जबकी तीसरी पुत्री का नाम वास्तविक नाम अणछीबाई है परन्तु कालु नाम दर्ज कर दिया जो गलत है। ग्राम पंचायत भाणुजा द्वारा बिना तथ्यों व दस्तावेजान का परीक्षण के ही आदेश पारित कर दिया है। जो निरस्त योग्य है। पत्रावली में संलग्न तहसीलदार बडीसादडी जांच रिपोर्ट अनुसार भी ग्राम पालाखेड़ी के श्री हेमा खारोल के वारीसान की जांच की गई जांच में मौतबिरान देह से जाहिर आया कि हेमा खारोल की मृत्यु हो चुकी है। मृतक हेमा खारोल की तीन पुत्रीयां 1. अणछीबाई 2. प्रतापीबाई 3. जमनाबाई है हेमा खारोल का कोई पुत्र नहीं है। मृतक की पत्नी की भी मृत्यु हो चुकी है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार योग्य है।

अतः अपीलांट की अपील को स्वीकार की जाकर अपीलांट की ओर से धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रा.प. स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत भाणुजा का आदेश दिनांक 01.01. 1983 के नामान्तरण सं. 218 को निरस्त किया जाता है। तहसीलदार बडीसादडी को आदेश दिया जाता है नये सिरे से नामान्तरण प्रक्रिया अपनायी जाकर वारिसान का नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज किया जावे । निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बड़ीसादडी को दी जावे।

निर्णय सरे ईजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(बिन्दु बाला राजावत)RAS
सहायक कलक्टर
बडीसादडी

Signature Not Verified

Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2021.09.10 13:12:44 IST
Reason: SelfAttested